UPBS050007562026

न्यायालय CIVIL JUDGE (S.D.), Basti

पीठासीन अधिकारी–(Sabiha Khatoon) -उ०प्र० न्यायिक सेवा–UP02115

Civil Suit/514/2026

श्रीराम सोनी आदि बनाम ओम प्रकाश उपाध्याय आदि

12.08.2026

आज यह वादपत्र प्रस्तुत होकर मुंसरिम प्रतिवेदन के उपरान्त प्राप्त हुआ। नियमानुसार पंजीकृत हो। प्रतिवादीगण वादोत्तर तिथि–14–09–2026 तथा वादबिन्दु हेतु तिथि–28–09–2026 नियत कर नोटिस उभय प्रकार से जारी हो। वादी तीन दिवस में पैरवी सुनिश्चित करे।

सिविल जज (सी.डि.)
बस्ती।

6 ग 2 प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
7 ग 2 शपथपत्र
8 ग 2 वकील कमिश्नर

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन कागज सं०–6 ग 2 पर उनके विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया।

वादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन कागज संख्या–6 ग 2 प्रस्तुत कर विवादित भूमि रास्ता अक्षरान I,J,K,L,M,N प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र स्थित शिकमी नम्बर 437/2 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया गया है। कागज संख्या–6 ग 2 के समर्थन में शपथ पत्र 7 ग 2 एवं सूची अभिलेख के माध्यम से नकल नक्शा आबादी, नकल कोर्रा आबादी, छायाप्रति खसरा आबादी मय हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा आबादी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित शिकमी नम्बर 437/2 परती रास्ता के रूप में दर्ज है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया गया है कि विवादित रास्ता वादीगण व अन्य लोगों के आने जाने हेतु सामान्य रास्ता है, जिसका उपयोग वादीगण अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते के अवरूद्ध हो जाने से वादीगण का आवागमन बन्द हो जाएगा। यदि उक्त विवादित रास्ते के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया गया तो वादी का वाद संस्थित करने का उद्देश्य विफल हो जायेगा। अतः ऐसी स्थिति में उक्त विवादित रास्ते के संबंध में उभयपक्षों को यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रतिवादीगण को तिथि 27–08–2026 के लिए उभय प्रकार से नोटिस जारी हो, तब तक उभयपक्ष को द्वारा एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा मना किया जाता है कि वे

विवादित भूमि रास्ता अक्षरान I,J,K,L,M,N प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र स्थित शिकमी नम्बर 437/2 में न तो कोई निर्माण करें, न उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी आदेश 39 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का अनुपालन दो दिन में करे। अनुपालन न करने की स्थिति में उक्त आदेश निष्प्रभावी होगा।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी की न्यायालय में उपस्थिति के उपरांत प्रत्येक दशा में बिना कोई स्थगन लिए हुए वादी प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर सुनवाई करायेंगे, अन्यथा उपरोक्त स्थगन खंडित कर दिया जाएगा। पत्रावली निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 हेतु तिथि–27–08–2026 को पेश हो।

प्रार्थना पत्र 8 ग 2 वकील कमिश्नर हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है। नियमानुसार अधिवक्ता कमिश्नर सूची से नियुक्त हो। वकील कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र के प्रकाश में मौके का मानचित्र बनाकर प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें। वादी पैरवी अविलम्ब करें।

सिविल जज (सी.डि.),
बस्ती।